

116

22/3/12



विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 41,63,070.00 रुपये।
स्टाम्प पेपर - प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निवन्धन में
कर एवं निवन्धन विभाग की अधिभूचना संख्या क0नि0-5-893/
ग्यारह - 2010-500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था
के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कंसर्शियम क्रेता स्टैम्प
ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

मैं कि श्रीमती गुस्की पत्नी पवन निवासी ग्राम दुरियाई परगना बावरी
तहसील बावरी व जिला गोंयमयूर नगर (फरीक अजयल, विक्रेता)।

मैरास अजयल बड़वा हाईवेक हवलगर्स प्रात लि0 33 कम्यूनिटी रोडर -यू फेन्डस
कालोनी नई दिल्ली द्वारा दीएक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी
रोडर -यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत दस्ताखरी (फरीक दीयम/क्रेता)।-



11/01/12



क्रमांक 4163070/- फस साल 10000
 जमात 201 100201 शब्द लगभग 600
 श्री जीत बूडिया
 श्री श्री श्री
 जमात 10000
 1 कार्यवाही 23
 जमात 201 100201 शब्द लगभग 600
 जमात 201 100201 शब्द लगभग 600
 जमात 201 100201 शब्द लगभग 600

21/2/11
 21/2/11

गुड्डे

इस कार्यवाही का संपादन एवं इसमें लगे
 जमात मुं 4163070/- लम्बा प्रमाणित किया
 जिसमें से
 जमात में जमात पाकर जमात श्री जीत बूडिया बुडिया
 जमात के 10 लम्बा से श्री जीत बूडिया बुडिया
 जमात के 10 लम्बा से श्री जीत बूडिया बुडिया
 जमात के 10 लम्बा से श्री जीत बूडिया बुडिया
 जमात के 10 लम्बा से श्री जीत बूडिया बुडिया
 जमात के 10 लम्बा से श्री जीत बूडिया बुडिया

(2)

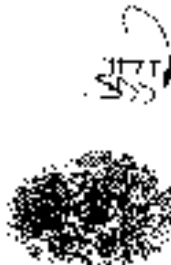
विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 299 के खसरा नं० 194 रकबा 0.930 हैक्टे० व खसरा नं० 212 रकबा 0.811 है० कुल 2 किता रकबा 1.741 है० का 1/6 भाग 0.290166 हैक्टे० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1411-1415 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी सार्वजनिक भूमिधर कागजात दर्ज है, का बेनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा सार्वजनिक भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी लॉकेल रेट 7000000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200 रु० प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 41,63,070/- रुपये (इकतालीस लाख तिरसठ हजार सत्तर रुपये मात्र) में तय है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्पत्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पट्टान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।



Signature

१. ~~आमल-पौषी~~
 २. ~~पुष्पाव~~ ~~पेती~~
 ३. ~~गुण-गौरव-गौरव~~ ~~जि. मेरु~~
 ४. ~~मुनीय-पुष्पा~~
 ५. ~~अप-सि~~ ~~पेती~~
 ६. ~~गाम-कुआर-तह-प्राप~~

२१/५/११

२१/५/११

२१/५/११

२१/५/११

२१/५/११

२१/५/११

२१/५/११

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, मार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र मुझे वर्णित उक्त खाता नं० 299 के खसरा नं० 194 रकबा 0.930 हैक्टे० व खसरा नं० 212 रकबा 0.811 है० कुल 2 किता रकबा 1.741 है० का 1/6 भाग 0.290166 हैक्टे० स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को दास्तो तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समुझेति से मय समस्त अधिकार मात्किफाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त मराई, हर किसम कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है।

सिद्धि

सत्यमेव जयते





(4)

आदि आदि को आज की तारीख मुझे विक्रय धनराशी अंकन 41,83,070/- रुपये (इकतालीस लाख तिरसठ हजार सत्तर रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 20,81,535 /- रुपये (बीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ पैंतीस रुपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त गैसर्स उप्पल चद्दा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्तासरी को बेय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये. है उनके सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बाबत समस्त कागजात मे बजारिये बैनामा दाखिल स्वारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है. मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिल्कियत भूमि में निहित हित व उसके भूत्थ धन तथा किसी अंश से विक्रेतागण व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नहीं रहा और न कमी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिने तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई मार निकल आर निकल हुआ मार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दायेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निभल जाये, तो हर ऐसी

31/3/21

पुत्र

31/3/21



दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कच्चे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हज्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

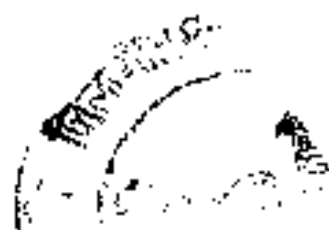
(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काग आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.290168 हैक्टेयर, खता नं० 299 के खसरा नं० 194, 212 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 409,337 अंकन 41,63,070/- रुपये (इकतालीस लाख तिरेशठ हजार सत्तर रुपये मात्र)



Handwritten signature or initials.



दिनांकित 21.02.11 कृषीक अल्पसं द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

20th

(~~ફેરફાર~~) વિશા-ની અમૂલ
પરીક્ષા લેયમ (ક્રેતા)



ପଢ଼ିବାର ତାରିଖ 21.02.11 ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ କ୍ଷେତ୍ର-ସ୍ଥାନ ନାମ ଏଲ୍‌ସିକେଟ୍ ଗାଞ୍ଜିଆବାଦ

आज दिनांक . . . 21/2/11 . . . का फाइल नं.
 ति पुस्तक संख्या . . . 3224
 पृष्ठ . . . 105 . . . खण्ड संख्या . . . 3235
 10 116 . . . (कम संख्या)

